तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/एल.आर./7040/2022/जोधपुर</u>** **जमना बनाम ग्राम पंचायत शिकारपुर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

<u>एकल–पीठ</u>
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री पूजा शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी।
(2) श्री गौरव दवे, अभिभाषक अप्रार्थी।

<u>निर्णय</u> **दिनांकः 14.02.2023**

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 84 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी जिला जोधपुर दिनांक 07–09–2022 प्रकरण सं0 08/2022 बउनवानी जमना बनाम ग्राम पंचायत शिकारपुर के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें आक्षेपित निर्णय से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को रेस्पो0 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है।

2– निगरानी पर योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

3– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आदेश न्याय, नियम व कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर बगैर कारण अंकित किये अप्रार्थी सं0 7 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में घोर कानूनी भूल की है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय न्यायालय को तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों का पूर्ण विवेचन करने के पश्चात् प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना चाहिए। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश नॉन स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में आता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि हाल अप्रार्थी सं0 7 स्वयं अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित करके आया है कि जो भूमि उसने क्रय की थी। उसके बाबत् भू उपयोग परिवर्तन पर जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक पट्टा जारी किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में हाल अप्रार्थी सं0 7 के द्वारा क्रय किये गये भू भाग के बाबत् भू उपयोग परिवर्तन हो जाने के पश्चात् सुनवाई का क्षेत्राधिकार विद्वान राजस्व न्यायालय को नहीं है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/एल.आर./7040/2022/जोधपुर</u>** **जमना बनाम ग्राम पंचायत शिकारपुर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत जाकर हाल प्रार्थीयां का जवाब रिकॉर्ड पर लिये बगैर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में विधिक कानूनी भूल की है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार को जवाब, साक्ष्य व सुनवाई का पूर्ण अवसर देने के पश्चात् ही निर्णय पारित करना चाहिए। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी जिला जोधपुर द्वारा पारित आदेश 07–09–2022 अपास्त किया जावें। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में आर0बी0जे0 2020 पेज 319, आर0बी0जे0 2001 पेज 603 न्याय दृष्टांत पेश किये।

4– योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुये कथन किया कि विद्वान परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सही स्वीकार किया है। इसलिये प्रार्थी की निगरानी खारिज की जावें।

5– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान गैर निगराकार/अप्रार्थी सं0 7 ने विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणी में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट ने खसरा नं0 793 की भूमि में प्रार्थी हितबद्ध है तथा प्रार्थी की स्वामित्व की भूमि उक्त खसरे में आई हुई है जबकि अपीलांट ने प्रार्थी को पक्षकार बनाये बगैर ही अपील पेश की है तथा न्यायालय से बाले–बाले उक्त सम्पूर्ण भूमि बाबत् आदेश प्राप्त करना चाहता है जिससे प्रार्थी के हक अधिकार प्रभावित होंगे। इन परिस्थितियों में प्रार्थी आवश्यक पक्षकार है जिसे रेस्पो0 के रूप में पक्षकार संयोजित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी की क्रय शुदा भूमि औद्योगिक रूप में रूपांतरित है। इस कारण प्रार्थी के हक हिस्से तक भूमि की अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। उक्त महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को न्यायालय के समक्ष लाना कानूनी लाजमी है। इन तमाम परिस्थितियों प्रार्थी को पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाना कानून संगत है।

अतः प्रार्थी को पक्षकार के रूप में संयोजित किया जावें जिसका वर्तमान प्रार्थियां/निगराकार द्वारा कोई जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस की गई जिस पर विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी जिला

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/एल.आर./7040/2022/जोधपुर</u>** **जमना बनाम ग्राम पंचायत शिकारपुर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जोधपुर का निर्णय दिनांक 07–09–2022 में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को रेस्पो0 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है।

6– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अप्रार्थी सं0 7 श्री मुकेश सिंघवी ने प्रार्थना पत्र के साथ जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा जारी पट्टा विलेख दिनांक 18–09–2019 की प्रति पेश की जिसमें खसरा नं0 793/2 अंकित है जिसका पंजीयन भी उप पंजीयक लूणी द्वारा दिनांक 06–11–2019 को किया गया। दस्तावेज के आधार पर ही विद्वान उपखण्ड अधिकारी, लूणी द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

जिससे स्पष्ट है कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी, लूणी का आदेश दिनांक 07–09–2022 पूर्णतया विधिसम्मत है।

7– विद्वान अभिभाषक प्रार्थियां द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त प्रकरण के तथ्यों पर चस्पा नहीं होते हैं।

8– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी की निगरानी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाकर विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी जिला जोधपुर का निर्णय दिनांक 07–09–2022 यथावत रखा जाता है।

9– पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)

सदस्य